[2021] 1 एस. सी. आर 495

एम/एस। रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड।

वी.

मेसर्स होटल पून्जा इंटरनेशनल पी. वी. टी. लिमिटेड।

(2020 की सिविल अपील संख्या 4221)

21 जनवरी, 2021

[इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - एस. 62-द असाइनर

बैंक ने कॉरपोरेशन बैंक के साथ मिलकर कॉरपोरेट देनदार को 2 लाख रुपये के सावधि ऋण की मंजूरी दी-कॉरपोरेट देनदार ऋण चुकाने में विफल रहा असाइनर बैंक ने कॉरपोरेट देनदार के खाते को 1 पर "गैर-निष्पादित परिसंपत्ति" (एन. पी. ए.) घोषित किया-असाइनर बैंक ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर किया।

देय राशि की वसूली-समनुदेशक बैंक और निगमित देनदार के बीच एक समझौता किया गया था-तदनुसार, डी. आर. टी. ने एक 27.03.2003 पर वसूली प्रमाणपत्र-कॉर्पोरेट देनदार फिर से समझौते का पालन करने में विफल रहा-इसके बाद, समनुदेशक बैंक और अपीलार्थी के बीच एक समझौता किया गया, अपीलार्थी को डी. आर. टी. में समनुदेशक बैंक के स्थान पर आवेदक के रूप में प्रतिस्थापित किया गया और 13.12.2012 पर एक संशोधित वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया।

-

27.07.2018 पर, अपीलार्थी ने यू/एस आवेदन दायर किया। 7 एन. सी. एल. टी. के समक्ष निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) शुरू करने के लिए निगमित देनदार के खिलाफ आई. बी. सी. की याचिका, जिसे खारिज कर दिया गया था-एन. सी. एल. ए. टी. ने यह भी पाया कि आवेदन यू / एस. 7 को सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया था

उच्चतम न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी ने दो दस्तावेजों को स्वीकार किया,

एक आवेदन यू/एस। 7 आई. बी. सी. के आवेदन पर यू/आर्ट द्वारा रोक लगा दी जाएगी। 137 परिसीमा अधिनियम-मुकदमा करने का अधिकार 01.04.1993 जब समनुदेशक बैंक के साथ निगमित देनदार की राशि को एन. पी. ए. घोषित किया गया था-इसके आवेदन के भाग IV में यू/एस। 7 आई. बी. सी. में, अपीलार्थी ने स्वयं चूक की तारीख को 01.04.1993 घोषित किया इस प्रकार, दावा स्पष्ट रूप से सीमा द्वारा वर्जित है। आई. बी. सी. की धारा 7 संशोधित वसूली प्रमाणपत्र जारी होने के लगभग 6 साल बाद दायर की गई थी।

13.12.2012) - जहाँ तक अपीलार्थियों द्वारा निर्दिष्ट दो दस्तावेजों का संबंध है, दोनों दस्तावेजों का अर्थ इस प्रकार नहीं लगाया जा सकता है -

स्वीकार करना जो न्यायिक संबंध और दायित्व के अस्तित्व की स्वीकृति के बराबर है-दिनांकित बैलेंस शीट 16.08.2017 किसी भी ऋण को स्वीकार या स्वीकार नहीं करती है-इसके अलावा, दिनांकित 23.04.2019 फिर से एक स्वीकृति और स्वीकार नहीं है

दायित्व पत्र की भाषा और लहजे से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि दायित्व से इनकार कर दिया गया था-निगमित देनदार का दिनांकित तुलन पत्र और दिनांकित पत्र दायित्व की कोई स्वीकृति नहीं है और अपीलार्थी द्वारा आई. बी. सी.-एन. सी. एल. ए. टी. के तहत अपने आवेदन में इसका उल्लेख भी नहीं किया गया था। आई. बी. सी. की धारा 7 द्वारा वर्जित है

सीमा।

सीमा अधिनियम, 1963-कला। 137 - दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 7 और 9-बी. के. शैक्षिक सेवाओं में निजी

लिमिटेड वी. पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स (2009) 11 एससीसी 633: [2018] 12 एस. सी. आर. 794 ने माना कि सीमा अधिनियम आवेदनों पर लागू होता है।

संहिता की शुरुआत से संहिता की धारा 7 और 9 के तहत दायर, सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 आकर्षित होता है।

सीमा अधिनियम, 1963-कला। 137 - दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 7 - आयोजित किया गयाः गौरव हरगोविंदभाई डेव बनाम। परिसंपत्ति

पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड और अन्य। (2019) 10 एस. सी. सी. 572, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "एक आवेदन" जो यू/एस. द्वारा दायर किया गया है। 7 , यह केवल अवशिष्ट कला के अंतर्गत आएगा। 137 .

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. इस न्यायालय के कई निर्णयों से यह अच्छी तरह से तय होता है कि सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 इस ओर आकर्षित होता है -

आई. बी. सी. की धारा 7 और 9 के तहत दायर आवेदन। मुकदमा करने का अधिकार तब प्राप्त होता है जब कोई चूक होती है, और यदि वह चूक आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने की तारीख से तीन साल पहले हुई है, तो आवेदन को सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उच्चतम स्तर पर, सीमा 27 मार्च 2003 को शुरू हुई, जब डी. आर. टी. द्वारा एक वसूली प्रमाण

पत्र जारी किया गया था। अपीलार्थी ने आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अपने आवेदन में यह प्रदर्शित करने के लिए किसी भी सामग्री का खुलासा नहीं किया है कि

आवेदन सीमा द्वारा वर्जित नहीं है। [पैरा 19] [503-एफ-जी]

2. दिवाला दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत अपने आवेदन में, अपीलार्थी ने यह नहीं दिखाया है कि अपीलार्थी को कॉर्पोरेट ऋणदाता से देय ऋण सीमा द्वारा वर्जित नहीं है। मुकदमा करने का अधिकार 1 अप्रैल 1993 को अर्जित हुआ जब एम/एस।

रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। वी. मेसर्स होटल पून्जा इंटरनेशनल पी. वी. टी. लिमिटेड।

समनुदेशक बैंक के साथ निगमित देनदार की राशि को एन. पी. ए. घोषित किया गया था। आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अपने आवेदन के भाग IV में, अपीलार्थी ने चूक की तारीख 1 अप्रैल, 1993 घोषित की। दावा स्पष्ट रूप से सीमा द्वारा वर्जित है। यहां तक कि डी. आर. टी. के फैसले की तारीख 09.04.2001 थी और वसूली प्रमाण पत्र की तारीख 27 मार्च 2003 थी। 18 जुलाई 2018 को अपीलार्थी का अपना लेखा विवरण आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन करने के लिए सीमा के प्रश्न के लिए सामग्री नहीं है, जो मुकदमा करने के अधिकार के संचय की तारीख से तीन साल है। [पैरा 23] [504-एफ-एच; 505-ए]

3. सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के तहत, किसी भी अधिकार या संपत्ति के संबंध में किसी पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित लिखित दायित्व की स्वीकृति।

मुकदमा दायर करने और/या आवेदन दायर करने के लिए सीमा की निर्धारित अवधि, उस समय से सीमा की अवधि की नए सिरे से गणना की ओर ले जाती है, जब से पावती पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। [पैरा 24] [505-ए-बी]

4. इस मामले में कॉर्पोरेट देनदार ने 30 जून के समझौते के बाद लिखित रूप में किसी भी पावती पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

2001 , जिसके आधार पर डी. आर. टी. द्वारा 27 मार्च 2003 को एक वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था। के बीच एक व्यवस्था

समनुदेशक बैंक और अपीलार्थी और डी. आर. टी. में निष्पादन/वसूली कार्यवाही के लिए पक्षकार के रूप में अपीलार्थी का परिणामी प्रतिस्थापन शुरू करने की सीमा को नहीं बचाता है। आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही। किसी भी मामले में, यहां तक कि संशोधित वसूली प्रमाणपत्र, जिस पर अपीलार्थी ने भरोसा किया है, 13 दिसंबर, 2012 का है। आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन संशोधित वसूली प्रमाणपत्र जारी होने के लगभग 6 साल बाद दायर किया गया था। [पैरा 25] [505-सी-डी]

5. सीमा अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, किसी के संबंध में लिखित रूप में वर्तमान निर्वाह दायित्व की स्वीकृति।

विरोधी पक्ष द्वारा दावा किया गया अधिकार और जिस पक्ष के खिलाफ अधिकार का दावा किया गया है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित अधिकार, उस तारीख से सीमा की एक नई अवधि शुरू करने का प्रभाव रखता है जिस दिन पावती पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस तरह की स्वीकृति के साथ स्पष्ट रूप से भुगतान करने का वादा या निहितार्थ भी नहीं होना चाहिए। हालांकि, सीमा की प्रासंगिक अवधि समाप्त होने से पहले स्वीकृति दी जानी चाहिए। [पैरा 30] [506-डी-एफ]

खान बहादुर शापूर फ्रीडम मजदा बनाम। दुर्गा

प्रसाद चमारिया और अन्य, एआईआर 1961 एससी 1236:

[1962] 1 एस. सी. आर. 140-पर निर्भर।

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायिक संबंध और दायित्व के अस्तित्व की स्वीकृति। 16 अगस्त 2017 की बैलेंस शीट किसी भी ऋण को स्वीकार या स्वीकार नहीं करती है। बल्कि, निगमित देनदार ने विवाद किया है और अपने दायित्व से इनकार किया है। 23 अप्रैल 2019 को फिर से लिखा गया पत्र दायित्व की स्वीकृति और स्वीकृति नहीं है। पत्र की भाषा और लहजे से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि दायित्व से इनकार किया गया था। [पारस 32,33 और 34] [507-एफ-एच; 508-ए, जी] 7. 16 अगस्त, 2017 की कॉर्पोरेट देनदार की तुलनपत्र और 23 अप्रैल, 2019 का पत्र, जैसा कि देखा गया है, दायित्व की कोई स्वीकृति नहीं है और न ही थे।

यहां तक कि अपीलार्थी द्वारा आई. बी. सी. के तहत अपने आवेदन में भी संदर्भित किया गया है। इसलिए, इस न्यायालय के लिए इसमें गहराई से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्न कि क्या सीमा अधिनियम की धारा 18 आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका के मामले में आकर्षित होती है। [पैरा 35] [509-डी-ई]

बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स (2019) 11 एससीसी 633: [2018] 12 एससीआर 794; गौरव हरगोविंदभाई दवे बनाम। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड और अन्य। (2019) 10 एस. सी. सी. 572; राधा एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम। के. पी. जयराम (2020) 10 एससीसी 538; बालकृष्ण

सावलराम पुजारी वाघमारे बनाम। श्री ध्यानेश्वर महाराज संस्थान [1959] पूरक (2) एससीआर 476; खान बहादुर शापूर फ्रीडम मजदा बनाम। दुर्गा प्रसाद

चमारिया और अन्य, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1236:

[1962] एस. सी. आर. 140-पर निर्भर।

वाशदेव आर. भोजवानी बनाम अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड और ए. एन. आर. , (2019) 9 एस. सी. सी. 158 [2019] 12 एस. सी. आर. 75; मोबिलॉक्स इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम। किरासा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड (2018) 1 एस. सी. सी. 353: [2017] 10 एस. सी. आर. 1006; आंध्र प्रदेश लिमिटेड का पारेषण निगम बनाम। इक्विपमेंट कंडक्टर एंड केबल्स लिमिटेड (2019) 12 एससीसी 697 [2018] 13 एससीआर 1067-संदर्भित

को।

एम/एस। रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। वी. मेसर्स होटल पून्जा इंटरनेशनल पी. वी. टी. लिमिटेड।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 12 एससीआर 794

उस पर भरोसा करें

पैरा 20

(2019) 10 एस. सी. सी. 572

उस पर भरोसा करें

पैरा 21

(2020) 10 एस. सी. सी. 538

उस पर भरोसा करें

पैरा 22

[2019] 12 एससीआर 75

पैरा 26

संदर्भित किया गया है

[1959] पूरक (2) एस. सी. आर. 476

उस पर भरोसा करें

पैरा 47

[1962] एससीआर 140

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

[2017] 10 एससीआर 1006

संदर्भित किया गया है

पैरा 38

[2018] 13 एससीआर 1067

पैरा 38

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4221

2020 से।

राष्ट्रीय संविधान के 05.02.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 1011 में कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

सिद्धार्थ डेव, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री रुचि कोहली, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

इंदिरा बनर्जी, जे. दिवाला और दिवालियापन की धारा 62 के तहत यह अपील

संहिता, 2016, जिसे इसके बाद "आई. बी. सी". के रूप में संदर्भित किया गया है, राष्ट्रीय कंपनी कानून द्वारा पारित 5 फरवरी 2020 के निर्णय और आदेश के खिलाफ है।

अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, जिसे इसके बाद "एन. सी. एल. ए. टी". के रूप में संदर्भित किया गया है, ने अपीलार्थी द्वारा दायर 2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 1011 को खारिज कर दिया, जिसमें अपीलार्थी ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, अर्थात राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, बेंगलुरु पीठ द्वारा 20 अगस्त 2019 को पारित एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसे इसके बाद "एन. सी. एल. टी". के रूप में संदर्भित किया गया था, जिसमें आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया गया था जो सी. पी. (आई. बी.) No.170/बी. बी./2018 है।

2. अपीलकर्ता कंपनियों के तहत निगमित एक कंपनी है।

अधिनियम, 1956 और प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 3 के अनुसार प्रतिभूतिकरण और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के रूप में पंजीकृत वित्तीय परिसंपत्तियाँ और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सर्फेसी)।

3. प्रतिवादी मेसर्स होटल पून्जा इंटरनेशनल प्रा. लि. लिमिटेड,

इसके बाद "कॉर्पोरेट देनदार" के रूप में संदर्भित, विजया बैंक द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ ऋण/ऋण सुविधाएं प्रदान की गईं, जिसे इसके बाद "असाइनर बैंक" के रूप में संदर्भित किया गया। 3 मई 2011 को

या लगभग समनुदेशक बैंक और अपीलार्थी के बीच निष्पादित एक समझौते के अनुसार, समनुदेशक बैंक ने कॉर्पोरेट ऋणदाता से अपना बकाया अपीलार्थी को सौंप दिया है।

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. 20 मई 1986 के एक पत्र द्वारा, समनुदेशक बैंक ने निगम बैंक के साथ मिलकर निगम को 1 लाख रुपये के सावधि ऋण को मंजूरी दी।

देनदार। ऋण दस्तावेजों को निगमित देनदार द्वारा अपने अधिकृत निदेशकों और गारंटरों के माध्यम से, समनुदेशक बैंक और निगम बैंक के पक्ष में, निगमित देनदार द्वारा प्राप्त उपरोक्त ऋण को सुरक्षित करने के लिए विधिवत निष्पादित किया गया था।

5. द्वारा और उनके बीच निष्पादित एक परी पासू समझौते द्वारा

समनुदेशक बैंक, निगम बैंक और निगम ऋणदाता को 23 नवंबर 1987 को दोनों बैंकों के पक्ष में निगम ऋणदाता की चल और अचल संपत्तियों पर एक समान शुल्क लगाया गया था। 6. निगमित देनदार असाइनर बैंक से प्राप्त ऋण चुकाने में विफल रहा। अतः समनुदेशक बैंक ने 1 अप्रैल 1993 को निगमित ऋणदाता के खाते को "गैर निष्पादित परिसंपत्ति" (एन. पी. ए.) घोषित किया।

7. 18 मई 1998 को या उसके आसपास, असाइनर बैंक ने बैंकों को देय ऋणों की वसूली के तहत 1998 का मूल आवेदन संख्या 547 दायर किया।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी. आर. टी.), आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, बैंगलोर के समक्ष वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 की वसूली के लिए

कॉरपोरेट देनदार से कुल रु. 2,61,88,403.05/- का बकाया।

8. यह अपीलार्थी का मामला है कि उक्त मूल आवेदन के लंबित रहने के दौरान, निगमित देनदार ने समनुदेशक बैंक के समक्ष अपने ऋण को स्वीकार किया और स्वीकार किया और एक निपटान के लिए समनुदेशक बैंक से संपर्क किया, जो 1 करोड़ रुपये की समेकित राशि के भुगतान के अधीन है, जो पहले से ही भुगतान की जा चुकी 1 लाख रुपये से कम है। कॉर्पोरेट देनदार ब्याज के साथ किश्तों में शेष Rs.75 लाख का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। तदनुसार, 30 जून 2001 को असाइनर बैंक और कॉर्पोरेट देनदार के बीच एक समझौता किया गया था, जिसके आधार पर डी. आर. टी. ने 27 मार्च 2003 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया था।

9. अपीलार्थी का तर्क है कि चूंकि निगमित ऋणदाता निपटान राशि का भुगतान करने में विफल रहा, इसलिए समनुदेशक बैंक इसके हकदार बन गया निगमित देनदार से अवमूल्यन राशि की वसूली करें। इसलिए, समनुदेशक बैंक ने डी. आर. टी. में निष्पादन के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें कॉर्पोरेट देनदार द्वारा पहले से ही भुगतान किए गए लाख रुपये की कटौती करने के बाद, रु. 2,61,88,403.05 की अवमूल्यन राशि की वसूली की गई। निष्पादन के बाद

समनुदेशक बैंक और मेसर्स के बीच दिनांक 3 मई, 2011 का समझौता।

रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। वी. मेसर्स होटल पून्जा इंटरनेशनल पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंद्रबनेर्जी, जे।]

अपीलार्थी, अपीलार्थी को डी. आर. टी. के समक्ष कार्यवाही में समनुदेशक बैंक के स्थान पर आवेदक के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था, और 13 दिसंबर, 2012 को एक संशोधित वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

10. 27 जुलाई 2018 को या उसके आसपास, अपीलार्थी ने एन. सी. एल. टी., बेंगलुरु के समक्ष धारा के तहत No.CP (आई. बी.) No.170/बी. बी./2018 के साथ एक याचिका दायर की।

7 निगमित ऋणदाता के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) की शुरुआत के लिए आई. बी. सी.

11. 20 अगस्त 2019 के एक आदेश द्वारा, एन. सी. एल. टी. ने आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत उक्त याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि यह समझौता था।

कानून का प्रस्ताव है कि आई. बी. सी. के प्रावधानों को बकाया राशि की वसूली के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल उचित कारणों से सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए लागू किया जा सकता है।

12. एन. सी. एल. टी., बेंगलुरु ने निम्नलिखित प्रासंगिक बातों पर ध्यान दियाः

तथ्यः

" तत्काल मामले में, यह विवाद में नहीं है कि विजया बैंक ने

निगम ऋणदाता को 40 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत

20.05.1986 और उसने भुगतान करने में चूक की है

ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार ऋण। कॉर्पोरेट देनदार के खाते को 1.04.1993 पर एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया था। विजया बैंक ने डी. आर. टी., बैंगलोर के समक्ष मूल आवेदन ओ. ए. No.547/1998 भी दायर किया और डी. आर. टी. ने 9 अप्रैल, 2001 को एक आदेश जारी करके वसूली प्रमाण पत्र जारी किया। इसके अलावा, 9 अप्रैल, 2001 के आदेश के अनुसार राशि का भुगतान न करने के कारण, डी. आर. टी., बैंगलोर ने एक और वसूली जारी की।

प्रमाण पत्र डी. सी. पी. नं. 2691 दिनांकित 27.03.2003 निर्देशन

जैसा कि कहा गया है, ऋण की राशि की वसूली के लिए वसूली अधिकारी

उसमें। इसके बाद विजया बैंक ने ऋण सौंपा।

3 मई, 2011 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से याचिकाकर्ता/वित्तीय लेनदार को कॉर्पोरेट देनदार के पक्ष में वितरित किया गया। नतीजतन, याचिकाकर्ता/वित्तीय लेनदार को सौंपे गए कार्य को मान्यता देते हुए डी. आर. टी., बैंगलोर द्वारा 13 मई, 2011 को एक संशोधित वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

और इसके साथ वसूली के अधिकार निहित करना। "

13. एन. सी. एल. टी. के निर्णय और आदेश से व्यथित होते हुए, बेंगलुरु ने एन. सी. एल. टी. की धारा 7 के तहत अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया। आई. बी. सी., अपीलार्थी ने कंपनी अपील [2021] 1 एस. सी. आर. के रूप में उससे एक अपील दायर की।

(एटी) (आई. एन. एस.) एन. सी. एल. ए. टी. से पहले 2019 का <आई. डी. 1। अपील को विवादित फैसले और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

14. एन. सी. एल. ए. टी. ने यह भी पाया कि अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन

आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। हालाँकि, एन. सी. एल. ए. टी. ने स्पष्ट किया कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन को खारिज करने से अपीलार्थी को इसका लाभ उठाने से नहीं रोका जा सकेगा।

कानून के अनुसार, सक्षम मंच के समक्ष इसकी शिकायतों के निवारण के लिए उचित उपाय।

15. दिवाला और दिवालियापन (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2016 के नियम 4 के साथ पठित आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत सांविधिक प्रपत्र 1 में अपीलार्थी का आवेदन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) को इस अपील में दायर पेपर बुक में अनुलग्नक पी-7 के रूप में शामिल किया गया है। निगमित देनदार से अपीलार्थी को देय होने का दावा किए गए वित्तीय ऋण के विवरण से संबंधित आवेदन का भाग IV नीचे निकाला गया हैः

भाग-IV

वित्तीय ऋण का हिस्सा

ऋण की कुल राशि देने की तिथि

1 .

विवाद *

विजया बैंक असाइनर द्वारा दिया गया ऋण)-रुपये 40,00,000

(चालीस लाख रुपये)

सुविधा की प्रकृति-सावधि ऋण

मंजूरी की तिथि-20.05.1986

2 .

ए. एम. ओ. यू. एन. टी. डी. एफ. ए. एल. टी. में होने का दावा करता है और

(लेखा-जोखा तैयार करने के लिए कार्यों और सूची में भुगतान के दिनों पर ध्यान दें फॉर्म)

कुल बकाया-रु। 145,44,46, 651.32 (रुपये एक सौ चौंतीस लाख छियालिस हजार छह सौ पचास एक और पैसे बत्तीस केवल) 18.07.2018 पर

(आम्ट रुपये में)।

एम/एस। रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। वी. मेसर्स होटल पून्जा इंटरनेशनल पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंद्रबनेर्जी, जे।]

प्रधानाचार्य

कुल

ब्याज

सुविधा

उत्कृष्टता

उत्कृष्ट

ता

145,04, 46651.32

145,

44,46, 651.32

कार्यकाल

40,00,000

ऋण

एन. पी. ए. की तिथि-01.04.1993

16. दस्तावेजों, अभिलेखों के साथ वित्तीय ऋण का विवरण

और चूक का प्रमाण आवेदन के भाग V में दिया गया है। समर्थन में

अपने दावे के बारे में, अपीलार्थी ने 9 अप्रैल, 2001 के ओ. ए. No.547/1998 में डी. आर. टी. के फैसले, डी. आर. टी. द्वारा 27 मार्च, 2003 को जारी वसूली प्रमाण पत्र और 14 दिसंबर के आदेश पर भरोसा किया। 2017 डी. आर. टी. के समक्ष निष्पादन/पुनर्प्राप्ति कार्यवाही में, जैसा कि क्र. सं. से दिखाई देगा। डी. आर. टी. के समक्ष आवेदन के भाग 5 की सं. 2।

17. अपीलार्थी ने दिनांकित समनुदेशन समझौते पर भी भरोसा किया

पुस्तक साक्ष्य अधिनियम, 1891 (भाग 5 का क्रम संख्या 7); कार्य के संबंध में डी. आर. टी. में 3 जून 2011 को वसूली अधिकारी का एक ज्ञापन। अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय देनदार के डिक्रिटल बकाया और 13 दिसंबर 2012 का संशोधित वसूली प्रमाण पत्र (भाग 5 का क्रम संख्या 8)।

18. मान लीजिए, जैसा कि आवेदन के भाग IV में कहा गया है

आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एन. सी. एल. टी. में अपीलकर्ता, निगमित ऋणदाता के खाते को 1 अप्रैल, 1993 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया था, यानी एन. सी. एल. टी. में धारा 5 के तहत आवेदन दायर किए जाने से 15 साल पहले।

19. यह इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है, कि

सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 आई. बी. सी. की धारा 7 और 9 के तहत दायर आवेदनों की ओर आकर्षित होता है। मुकदमा करने का अधिकार तब प्राप्त होता है जब कोई चूक होती है, और यदि वह चूक आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने की तारीख से तीन साल पहले हुई है, तो आवेदन को सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत प्रतिबंधित किया जाएगा। उच्चतम स्तर पर, सीमा 27 मार्च 2003 को शुरू हुई, जब डी. आर. टी. द्वारा एक वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था। अपीलार्थी ने आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अपने आवेदन में किसी भी सामग्री का खुलासा नहीं किया है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि आवेदन सीमा द्वारा वर्जित नहीं है।

20. बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पराग

गुप्तंद एसोसिएट्स ने (2019) 11 एस. सी. सी. 633 में प्रतिवेदन दिया, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 42. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चूंकि सीमा अधिनियम लागू है

संहिता की शुरुआत से संहिता की धारा 7 और 9 के तहत दायर आवेदनों के लिए, सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 आकर्षित होता है। इसलिए, मुकदमा करने का अधिकार तब प्राप्त होता है जब कोई चूक होती है। यदि चूक आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीन साल पहले हुई है, तो आवेदन को सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत वर्जित किया जाएगा।

21. गौरव हरगोविंदभाई डेव बनाम। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण

कंपनी (इंडिया) लिमिटेड और अन्य। (2019) 10 एस. सी. सी. 572 में सूचित किया गया, जहां निगमित देनदार के खाते को 21.7.2011 पर एन. पी. ए. घोषित किया गया था, इस न्यायालय ने कहाः

" 6. ..... वर्तमान मामला "एक आवेदन" है जो धारा 7 के तहत दायर किया गया है, केवल अवशिष्ट अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आएगा। जैसा कि अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा सही बताया गया है, इसलिए समय 21-7-2011 पर चलना शुरू हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन दायर किया जाता है।

धारा 7 स्पष्ट रूप से समय-वर्जित होगी।

22. राधा एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम के. पी. जयराम ने हममें से एक (न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी) द्वारा लिखित (2020) 10 एस. सी. सी. 538 में बताया कि इस न्यायालय ने बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (पी) का उल्लेख किया है।

लिमिटेड वी. पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स (ऊपर) ने कहाः

35. यह कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया का आह्वान करने वाले आवेदक के लिए था, ताकि प्रथम दृष्टया उसके अस्तित्व को दिखाया जा सके।

कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण का पक्ष लेना। दूसरे शब्दों में, प्रत्यर्थी को यह दिखाना था कि ऋण द्वारा वर्जित नहीं है

सीमा, जो वे करने में विफल रहे।

23. आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अपने आवेदन में, अपीलार्थी ने यह नहीं दिखाया है कि कॉर्पोरेट से अपीलार्थी को देय ऋण

देनदार पर कोई सीमा नहीं है। मुकदमा करने का अधिकार 1 अप्रैल 1993 को अर्जित हुआ जब असाइनर बैंक के साथ कॉर्पोरेट देनदार की राशि को एन. पी. ए. घोषित किया गया था। आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अपने आवेदन के भाग IV में, अपीलार्थी ने चूक की तारीख 1 अप्रैल, 1993 घोषित की। दावा स्पष्ट रूप से सीमा द्वारा वर्जित है। यहां तक कि ओ. ए. No.547/98 में डी. आर. टी. का निर्णय दिनांकित

09.04.2001 था और वसूली प्रमाण पत्र दिनांकित 27 मार्च 2003 था। 18 जुलाई 2018 तक अपीलार्थी का अपना लेखा विवरण एम/एस बनाने के लिए सीमा के प्रश्न के लिए सामग्री नहीं है।

रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। वी. मेसर्स होटल पून्जा इंटरनेशनल पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंद्रबनेर्जी, जे।]

आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक आवेदन, जो मुकदमा करने के अधिकार के संचय की तारीख से तीन साल है। 24. सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के तहत, मुकदमा दायर करने और/या आवेदन दायर करने के लिए सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर ऐसे पक्ष द्वारा दावा किए गए अधिकार या संपत्ति के संबंध में एक पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित लिखित दायित्व की स्वीकृति की गणना की जाती है।

नए सिरे से सीमा की अवधि, उस समय से जब पावती पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।

25. इस मामले में, कॉर्पोरेट देनदार ने 30 जून 2001 के निपटारे के बाद लिखित रूप में किसी भी पावती पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसके आधार पर 27 मार्च 2003 को डी. आर. टी. द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था। समनुदेशक बैंक और अपीलार्थी के बीच एक व्यवस्था और डी. आर. टी. में निष्पादन/वसूली कार्यवाही के लिए पक्षकार के रूप में अपीलार्थी का परिणामी प्रतिस्थापन आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही शुरू करने की सीमा को नहीं बचाता है। किसी भी मामले में, यहां तक कि संशोधित वसूली प्रमाण पत्र, जिस पर अपीलार्थी ने भरोसा किया है, 13 दिसंबर, 2012 का है। आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन संशोधित वसूली प्रमाणपत्र जारी होने के लगभग 6 साल बाद दायर किया गया था।

26. वाशदेव आर. भोजवानी बनाम। अभ्युदय सहकारी बैंक

लिमिटेड और ए. एन. आर. , (2019) 9 एस. सी. सी. 158 में सूचित, इस न्यायालय ने एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के आदेशों को दरकिनार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन समयबद्ध था, क्योंकि ऋण खाते को 23 दिसंबर 1999 को और उसके बाद गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया था।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने 24 दिसंबर 2001 को एक वसूली प्रमाण पत्र जारी किया था। एन. सी. एल. टी. के समक्ष दिवाला कार्यवाही 5 मार्च 2018 को स्वीकार की गई थी।

27. वाशदेव आर. भोजवानी (ऊपर) में, इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चूक एक निरंतर गलत थी और सीमा अधिनियम 1963 की धारा 23 लागू होगी, बालकृष्ण सावलराम पुजारी वाघमारे बनाम पर भरोसा करते हुए। श्री ध्यानेश्वर महाराज संस्थान ने 1959 में पूरक (2) एस. सी. आर. 476 की सूचना दी।

28. बालकृष्ण सावलराम में पी. बी. गजेंद्रगडकर, जे. को उद्धृत करने के लिए

पुजारी वागमारे (ऊपर):

" ..... धारा 23 एक निरंतर अधिकार के लिए नहीं बल्कि एक निरंतर गलत के लिए संदर्भित करती है। यह निरंतर गलत का सार है कि यह एक ऐसा कार्य है जो चोट [2021] 1 एस. सी. आर. का निरंतर स्रोत बनाता है।

और उक्त चोट के जारी रहने के लिए कार्य करने वाले को जिम्मेदार और उत्तरदायी बनाता है। यदि गलत कार्य एक चोट का कारण बनता है जो पूरी तरह से है, तो कोई निरंतर गलत नहीं है, भले ही कार्य से होने वाली क्षति जारी रह सकती है। हालाँकि, यदि कोई गलत कार्य इस तरह का है कि उसके कारण होने वाली चोट जारी रहती है, तो अधिनियम का गठन करता है

गलत जारी रखें। इस संबंध में गलत कार्य से हुई चोट और उक्त चोट के प्रभाव के रूप में वर्णित किए जाने के बीच अंतर करना आवश्यक है। धारा 23 केवल उन कार्यों के संबंध में लागू की जा सकती है जिन्हें निरंतर गलतियों के रूप में उचित रूप से वर्णित किया जा सकता है। . ...

29. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए वकील ने पेपर बुक में दो दस्तावेजों का उल्लेख किया है, अर्थात् (i) 16 अगस्त 2017 की कॉर्पोरेट देनदार की बैलेंस शीट और (ii) पेपर बुक में कॉर्पोरेट देनदार द्वारा 23 अप्रैल 2019 को जारी एक पत्र जिसमें यह तर्क दिया गया है कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही पर रोक नहीं है।

सीमा, सीमा के रूप में दायित्व की स्वीकृति के रूप में उन दस्तावेजों की संबंधित तिथियों से तीन साल की अवधि के लिए नए सिरे से चलना शुरू हो जाएगा। निर्भरता को सीमा अधिनियम की धारा 18 पर रखा गया है। 30. सीमा अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, विपरीत पक्ष द्वारा दावा किए गए किसी भी अधिकार के संबंध में लिखित रूप में की गई वर्तमान निर्वाह देयता की स्वीकृति और जिस पक्ष के खिलाफ अधिकार का दावा किया गया है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित, उस तारीख से सीमा की एक नई अवधि शुरू करने का प्रभाव पड़ता है जिस पर स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस तरह की स्वीकृति के साथ स्पष्ट रूप से भुगतान करने का वादा या निहितार्थ भी नहीं होना चाहिए। हालांकि, सीमा की प्रासंगिक अवधि समाप्त होने से पहले स्वीकृति दी जानी चाहिए।

31. खान बहादुर शापूर फ्रीडम मज़्दा बनाम। दुर्गा

प्रसाद चमारिया और अन्य, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1236 में रिपोर्ट किए गए, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 6. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 19 द्वारा निर्धारित स्वीकृति केवल ऋण का नवीनीकरण करती है; यह कार्रवाई का एक नया अधिकार नहीं बनाता है। यह केवल इस संबंध में दायित्व की स्वीकृति है

प्रश्नगत अधिकार का; इसके साथ स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से भी भुगतान करने का वादा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस कथन पर स्वीकृति की याचिका आधारित है, वह वर्तमान निर्वाह देयता से संबंधित होना चाहिए, हालांकि इसकी सटीक प्रकृति एम/एस है।

रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। वी. मेसर्स होटल पून्जा इंटरनेशनल पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंद्रबनेर्जी, जे।]

या उक्त दायित्व का विशिष्ट चरित्र नहीं हो सकता है

शब्दों में बताया गया। स्वीकृति में उपयोग किए जाने वाले शब्द,

हालाँकि, ऋणी और लेनदार जैसे पक्षों के बीच न्यायिक संबंध के अस्तित्व का संकेत देते हैं, और यह प्रतीत होना चाहिए कि बयान इस तरह के न्यायिक संबंध को स्वीकार करने के इरादे से दिया गया है। इस तरह के इरादे का अनुमान प्रवेश की प्रकृति से निहितार्थ से लगाया जा सकता है, और इसकी आवश्यकता नहीं है शब्दों में व्यक्त किया। यदि कथन काफी स्पष्ट है तो न्यायिक संबंध को स्वीकार करने का इरादा इससे निहित हो सकता है। प्रश्नगत स्वीकारोक्ति व्यक्त किए जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों और शब्दों में की जानी चाहिए जिनसे न्यायालय यथोचित रूप से यह अनुमान लगा सके कि स्वीकारोक्ति करने वाले व्यक्ति का इरादा बयान की तारीख के रूप में एक स्थायी दायित्व का उल्लेख करना है। दिए गए बयानों में उपयोग किए गए शब्दों को समझने में

लिखित रूप में जिस पर स्वीकृति का अनुरोध मौखिक रूप से होता है

साक्ष्य को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है लेकिन आसपास

परिस्थितियों पर हमेशा विचार किया जा सकता है। आम तौर पर कहा गया है

अदालतें इस तरह के एक उदार निर्माण के पक्ष में हैं

बयानों का हालांकि यह मतलब नहीं है कि जहां कोई स्वीकार नहीं किया जाता है, वहां किसी का अनुमान लगाया जाना चाहिए, या जहां एक बयान स्पष्ट रूप से न्यायिक संबंध के अस्तित्व को स्वीकार करने के इरादे के बिना किया गया था, तो इस तरह के इरादे को बयान के निर्माता पर तर्क की एक शामिल या दूरगामी प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। मोटे तौर पर कहा गया है कि यह धारा 19 में निहित प्रासंगिक प्रावधानों का प्रभाव है, और वास्तविक कानूनी प्रावधानों के बारे में पार्टियों के बीच वास्तव में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इस मामले में स्थिति "।

मुख्य रूप से दो कारणों से। सबसे पहले, दिखाने के लिए कोई सबूत या सामग्री नहीं है कि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर सीमा की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किए गए थे। अपीलार्थी द्वारा वैधानिक प्रपत्र में दायर आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन में उक्त प्रभाव के लिए कोई अभिवचन नहीं है। वास्तव में, इन दोनों दस्तावेजों पर कभी भरोसा नहीं किया गया था।

33. दूसरा, इन दोनों दस्तावेजों को ऐसे प्रवेश के रूप में नहीं माना जा सकता है जो न्यायिक संबंध और अस्तित्व की स्वीकृति के बराबर हो।

दायित्व। 16 अगस्त 2017 की बैलेंस शीट किसी भी ऋण को स्वीकार या स्वीकार नहीं करती है। बल्कि, कॉर्पोरेट देनदार के पास [2021] 1 एस. सी. आर. है।

विवाद किया और अपने दायित्व से इनकार किया। कागजी पुस्तक के पृष्ठ 86 पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का बिंदु (डी) इस प्रकार हैः

" घ) टिप्पणी संख्या 28 निर्णय के तहत कंपनी के खिलाफ दावे

बिंदु (बी) और (सी) में बताए गए कारणों से ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऊपर उद्धृत बिंदु (डी) को तुरंत पूर्ववर्ती उप के साथ पढ़ा जाता है।

पैराग्राफ (बिंदु सी) यह स्पष्ट करता है कि बैलेंस शीट नहीं हो सकती है

दायित्व की स्वीकृति के रूप में माना जाता है। यह पेपर बुक के पृष्ठ 147 पर बैलेंस शीट के नोट 27 और नोट 28 के अंतिम उप-शीर्षक से भी स्पष्ट है, जो नीचे दिया गया हैः

" इस रिपोर्ट की तारीख तक मामला लंबित है

कर्नाटक का माननीय उच्च न्यायालय, बैंगलोर। बोर्ड ऑफ

निदेशकों ने निर्णय लिया है कि इसमें कोई ब्याज प्रदान नहीं किया जाएगा

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा बहियां। द.

प्राप्त कानूनी सलाह के आधार पर भी बोर्ड की राय है।

इसके द्वारा इस मामले में कि पुस्तकों में कोई ब्याज प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि मामला स्पष्टता प्राप्त करता है और पूरी राशि की मांग की जाती है

रुपये की राशि को छोड़कर रिलायंस द्वारा। 40.00 लाख के रूप में माना जाना चाहिए

" आकस्मिक दायित्व "के लिए प्रदान नहीं किया गया है।

बोर्ड की यह भी राय है कि इसके बाद के घटनाक्रम

रिलायंस द्वारा रुपये की राशि की मांग करते हुए। 97.12 करोड़। इन घटनाक्रमों का मामले पर काफी प्रभाव पड़ता है।

टिप्पणी संख्या 28 निर्णय के तहत कंपनी के खिलाफ दावे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गयाः

रु. 113.85

करोड़

वाणिज्यिक और अन्य दावे

रु. 72.92

करोड़ "

पिछला वर्ष

34. 23 अप्रैल 2019 का पत्र फिर से एक पावती नहीं है।

और दायित्व स्वीकार करना। पत्र की भाषा और लहजे से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि दायित्व से इनकार किया गया था। कॉर्पोरेट देनदार ने तर्क दिया कि उसने उधार ली गई राशि के दोगुने से अधिक का भुगतान किया है। फिर भी, निगमित देनदार ने विवाद को निपटाने के लिए इस तरह के प्रस्ताव के संबंध में अपीलार्थी की राय/सहमति लेने के लिए एक बार के समझौते की पेशकश की, जिसे मेसर्स ने स्वीकार नहीं किया था।

रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। वी. मेसर्स होटल पून्जा इंटरनेशनल पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंद्रबनेर्जी, जे।]

अपीलार्थी। 23 अप्रैल 2019 के पत्र का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया हैः

" चूंकि हम एकमुश्त निपटान योजना के तहत रुपये की राशि के लिए ऋण खाते का भुगतान करने पर सहमत हुए हैं। 1.00 जिसमें से हम पहले ही एक करोड़ रुपये का भुगतान कर चुके हैं। 40 लाख, जो बकाया रह गया है वह रु। 60 लाख। यदि आप अब तक हमारे द्वारा भुगतान की गई कुल राशि की गणना करते हैं, तो यह हमारे द्वारा उधार ली गई राशि के दोगुने से भी अधिक है। वैसे भी, हमने अब रुपये देने का फैसला किया है। 65 हमारे दावे के पूर्ण और अंतिम निपटारे में लाखों। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप रुपये की राशि के हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करें। 65 लाखों की भरमार

दावे का निपटान करें और मामले को बंद करें। रुपये में हमारे उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए आपकी ओर से इच्छा की स्थिति में। 65

लाख, हम इसे 30.06.2019 पर या उससे पहले भुगतान करने का वचन देते हैं। इसलिए, कृपया हमें इस मामले में जल्द से जल्द अपनी राय दें।

35. निगम ऋणदाता की 16 अगस्त, 2017 की तुलन-पत्र और 23 अप्रैल, 2019 का पत्र, जैसा कि ऊपर देखा गया है, ऐसा नहीं है। दायित्व की किसी भी स्वीकृति का गठन करता है और अपीलार्थी द्वारा आई. बी. सी. के तहत अपने आवेदन में भी संदर्भित नहीं किया गया था। इसलिए, इस न्यायालय के लिए इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या सीमा अधिनियम की धारा 18 धारा के तहत याचिका के मामले में आकर्षित है।

7 आई. बी. सी.

36. पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह दोहराया जाता है कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अपने आवेदन में, अपीलार्थी ने चूक की तारीख घोषित की

1 सेंट अप्रैल, 1993। उच्चतम स्तर पर, सीमा 27 मार्च, 2003 से चलने लगी, जब डी. आर. टी. द्वारा पक्ष में वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

नियुक्तकर्ता का। एन. सी. एल. ए. टी. ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अपीलार्थी का आवेदन सीमा द्वारा वर्जित है।

37. किसी भी मामले में, कॉर्पोरेट देनदार के बकाया के संबंध में डी. आर. टी. में कार्यवाही लंबित है। अपीलार्थी ने कहा है

डी. आर. टी. में निष्पादन कार्यवाही में समनुदेशक बैंक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। डी. आर. टी. द्वारा जारी एक संशोधित प्रमाणपत्र है। निष्पादन कार्यवाही में समय-समय पर आदेश पारित किए गए हैं। अपीलार्थी निगमित ऋणदाता के विरुद्ध बिना किसी उपाय के नहीं है।

38. जैसा कि इस न्यायालय ने मोबिलॉक्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम. कीरूसा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने (2018) 1 एस. सी. सी. 353 में बताया कि आई. बी. सी. का उद्देश्य पुनर्प्राप्ति मंच का विकल्प बनना नहीं है।

एस.

आंध्र प्रदेश लिमिटेड का स्मिसन कॉर्पोरेशन बनाम। (2019) 12 एस. सी. सी. 697 में रिपोर्ट किए गए इक्विप उक्टर्स एंड केबल्स लिमिटेड ने मोबिलॉक्स इनोवेशंस प्राइवेट ए में अपने पहले के फैसले का पालन किया और यहाँ नीचे देखा गया हैः

" मोबिलॉक्स इनोवा प्राइवेट लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के हाल के एक फैसले में। किरूसा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड (20. एस. सी. सी. 353, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि आई. एल. का इरादा पुनर्प्राप्ति मंच का विकल्प बनने का नहीं है। यह निर्धारित किया गया है कि जब भी वास्तविक डिस का अस्तित्व होता है

आई. बी. सी. प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है।

39. एन. सी. अपील के निर्णय और आदेश में कोई कमजोरी नहीं है जो इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करता है। ऐप

पहले, बर्खास्त।

याचिका दायर

करें

ग्यान